कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) 1 सितम्बर, 1992 और 28 फरवरी, 1993 के बीच प्रधान मंत्री के कार्यालय (पी.एम.ओ.) में संसद सदस्यों से 4251 पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) पत्रों की पावतियां सदैव पत्रों के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजने के प्रयास किए जाते हैं । जिन याचिकाओं पर कार्रवाई की जानी होती है, उन्हें भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों को भेज दिया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकादाताओं को उचित उत्तर भेज दिया जाए। इसलिए यह कहना कठिन है कि संबंधित एजेंसियों द्वारा कितने मामलों में तीन महीनों के भीतर अन्तिम उत्तर भेज दिए गए तथा उन मामलों की संख्या क्या है जिनमें कोई उत्तर नहीं दिया गया है। चूंकि याचिकाओं का उत्तर देने के लिए प्रायः विभिन्न स्रोतों से सामग्री एकत्र करनी होती है, इसलिए अन्तिम उत्तर भेजने में काफी समय लगता है। तथापि, इनमें से 1735 पत्र प्रधान मंत्री के कार्यालय से संबंधित थे और अब तक उनमें से 865 पत्रों का निपटान किया जा चुका है ।

(घ) मन्त्रालयों/विभागों के सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पावतियां और अन्तिम उत्तर शीघ्र भेजने के लिए कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में दिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करें । कार्याविधि के उल्लंघन के मामलों में निर्धारित अनुशासनात्मक क्रियाविधि के अनुसार कार्रवाई की जाती है। चूंकि इस समय प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा संसद सदस्यों को भेजे गए उत्तरों के केन्द्रीकृत आकड़े रखने की कोई पद्धति नहीं है, इसलिए यह कहना कठिन है कि ऊपर उल्लिखित उपबंधों के संबंध में कितने अधिकारी दोषी पाए गए और उन्हें क्या सजा दी गई है।

Panel of 1964 Batch IAS Officers for the Post of Additional Secretary

2084. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

SHRI MENTAY PADMANABHAM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the empanellment has been done of the IAS officers of 1964 batch for the post of Additional Secretaries to Government of India;

(b) if so, the number and names of officers so empanelled; if not so, how long would it take to do so;

(c) whether Government have prepared a panel of non-IAS officers of 1962 batch for promotion to the Additional Secretaries post; if so, the names of those officers and by when the left overs would be brought on the panel?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) No, Sir.

(b) The matter is receiving the attention of the Government.

(c) Non-IAS officers who fulfil the eligibility criteria are considered for empanellment to hold Additional Secretary/equivalent posts. In 1991 the officers upto 1963 batch were considered and 11 officers (including one officer of 1962 batch) were empanelled. In 1992, officers upto 1965 batch were considered and 5 officers were empanelled. The cases of left-over officers are periodically reviewed for empanellment.